# कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,
# मध्यप्रदेश

क्रमांक 2678 / तकनीकी / 2004 भोपाल, दिनांक 17.08.2004

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
समस्त उप पंजीयक,
मध्यप्रदेश

**विषयः पंजीकृत दस्तावेज पक्षकारों को लौटाए जाने बावत्।**

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1875 / तक / 04 भोपाल, दिनांक 3 / 6 / 2004

---0---

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था, कि उप पंजीयक कार्यालय में अनावश्यक रूप से पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज आवश्यक रूप से लंबित न रखे जायें, किन्तु ऐसी शिकायते प्राप्त हो रही हैं कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उप पंजीयकों के द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज अनावश्यक रूप से लंबित रखे जाते हैं।

सूचना के अधिकार अंतर्गत जारी निदेर्शनों में स्पष्ट किया गया है कि जिन दस्तावेजों में स्थल निरीक्षण आवश्यक नहीं है, वे प्रस्तुति दिनांक को ही पंजीबद्ध कर पक्षकारों को वापस किए जाए तथा जिन दस्तावेजों में स्थल निरीक्षण आवश्यक है उनमें पंजीयन की कार्यवाही सात दिवस में पूर्ण की जावे।

इन परिस्थितयों में भविष्य में यदि बिना किसी समुचित कारण के दस्तावेज लंबित पाए जाते हैं तो यह प्रथम दृष्टव्य माना जावेगा कि पंजीयन अधिकारी द्वारा पक्षकारों को परेशान करने एवं भ्रष्टाचार के उद्देश्य से उक्त दस्तावेज लंबित रखे गये थे। **ऐसे मामलो में उप पंजीयक एवं पंजीयन लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आवश्यक होने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।**

सभी जिला पंजीयक अपने अधीनस्थ कार्यालयों में निरंतर निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को बिना समुचित कारण के किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। यदि किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज लंबित पाए जाते हैं तो संबंधित जिला पंजीयक के विरूद्ध पर्यवेक्षण में शिथिलता की कार्यवाही की जावेगी।

**महानिरीक्षक पंजीयन**
**मध्यप्रदेश**

पृष्ठांकन क्रमांक 2679/तकनीकी/2004 भोपाल, दिनांक 17.08.2004

**प्रतिलिपि :**

समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि यदि उप पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज लंबित रखे जाने की शिकायतें प्राप्त हो तो तत्काल संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।